## HARYANA VIDHAN SABHA

#### Bill No. 12 — HLA OF 2023

## THE HARYANA GOODS AND SERVICES TAX (AMENDMENT) BILL, 2023

#### Α

#### BILL

further to amend the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-fourth Year of the Republic of India as follows:—

1. (1) This Act may be called the Haryana Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2023.

Short title and commencement

(2) The provisions of sections 2 to 27 shall come into force from such date, as the Government may, by notification in the Official Gazette, appoint:

Provided that the Government may, by notification in the Official Gazette, appoint different dates for commencement of different provisions of this Act.

2. In section 2 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (hereinafter called the principal Act),-

Amendment of section 2 of Haryana Act 19 of 2017.

- (a) after clause (80), the following clauses shall be inserted, namely:—
  - '(80A) "online gaming" means offering of a game on the internet or an electronic network and includes online money gaming;
  - (80B) "online money gaming" means online gaming in which players pay or deposit money or money's worth, including virtual digital assets, in the expectation of winning money or money's worth, including virtual digital assets, in any event including game, scheme, competition or any other activity or process, whether or not its outcome or performance is based on skill, chance or both and whether the same is permissible or otherwise under any other law for the time being in force;';
- (b) after clause (102), the following clause shall be inserted, namely:-
  - '(102A) "specified actionable claim" means the actionable claim involved in or by way of-
    - (i) betting;
    - (ii) casinos;
    - (iii) gambling;
    - (iv) horse racing;

- (v) lottery; or
- (vi) online money gaming;';
- (c) in clause (105),-
  - (i) for the sign ";" existing at the end, the sign ":" shall be substituted; and
  - (ii) the following proviso shall be added, namely:-

"Provided that a person who organises or arranges, directly or indirectly, supply of specified actionable claims, including a person who owns, operates or manages digital or electronic platform for such supply, shall be deemed to be a supplier of such actionable claims, whether such actionable claims are supplied by him or through him and whether consideration in money or money's worth, including virtual digital assets, for supply of such actionable claims is paid or conveyed to him or through him or placed at his disposal in any manner, and all the provisions of this Act shall apply to such supplier of specified actionable claims, as if he is the supplier liable to pay the tax in relation to the supply of such actionable claims;"; and

- (d) after clause (117), the following clause shall be inserted, namely:-
  - '(117A) "virtual digital asset" shall have the same meaning as assigned to it in clause (47A) of section 2 of the Incometax Act, 1961 (Central Act 43 of 1961);'.

Amendment of section 10 of Haryana Act 19 of 2017.

- 3. In section 10 of the principal Act,-
  - (a) in clause (d) of sub-section (2), the words "goods or" shall be omitted; and
  - (b) in clause (c) of sub-section (2A), the words "goods or" shall be omitted.

Amendment of section 16 of Haryana Act 19 of 2017.

- In sub-section (2) of section 16 of the principal Act,-
  - (a) in the second proviso, for the words and sign "added to his output tax liability, along with interest thereon", the words and figures "paid by him along with interest payable under section 50" shall be substituted; and
  - (b) in the third proviso, after the words "made by him", the words "to the supplier" shall be inserted.

Amendment of section 1.7 of Haryana Act 19 of 2017.

- In section 17 of the principal Act,-
  - (a) in sub-section (3), in the Explanation, for the words and figure "except those specified in paragraph 5 of the said Schedule", the following shall be substituted, namely:-

"except,-

- (i) the value of activities or transactions specified in paragraph 5 of the said Schedule; and
- the value of such activities or transactions as may be prescribed in respect of clause (a) of paragraph 8 of the said Schedule."; and
- (b) after clause (f) of sub-section (5), the following clause shall be inserted, namely:-
  - "(fa) goods or services or both received by a taxable person, which are used or intended to be used for activities relating to his obligations under corporate social responsibility referred to in section 135 of the Companies Act, 2013 (Central Act 18 of 2013);".
- For sub-section (2) of section 23 of the principal Act, the following sub- Amendment of section shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 1st day of July, 2017, namely:-

section 23 of Haryana Act 19 of 2017.

Amendment of

- "(2) Notwithstanding anything to the contrary contained in subsection (1) of section 22 or section 24, the Government may, on the recommendations of the Council, by notification, subject to such conditions and restrictions as may be specified therein, specify the category of persons who may be exempted from obtaining registration under this Act.".
- 7. In section 24 of the principal Act,-

section 24 of (a) in clause (xi), the word "and" occurring at the end, shall be omitted; Haryana Act 19 of 2017.

(b) after clause (xi), the following clause shall be inserted, namely:-

"(xia) every person supplying online money gaming from a place outside India to a person in India; and".

For sub-section (1) of section 30 of the principal Act, the following subsection shall be substituted, namely:-

Amendment of section 30 of Haryana Act 19 of 2017.

- "(1) Subject to such conditions, as may be prescribed, any registered person, whose registration is cancelled by the proper officer on his own motion, may apply to such officer for revocation of cancellation of the registration in such manner, within such time and subject to such conditions and restrictions, as may be prescribed.".
- After sub-section (4) of section 37 of the principal Act, the following subsection shall be added, namely:-

Amendment of section 37 of Haryana Act 19

"(5) A registered person shall not be allowed to furnish the details of 2017.

of outward supplies under sub-section (1) for a tax period after the expiry of a period of three years from the due date of furnishing the said details:

Provided that the Government may, on the recommendations of the Council, by notification, subject to such conditions and restrictions as may be specified therein, allow a registered person or a class of registered persons to furnish the details of outward supplies for a tax period under sub-section (1), even after the expiry of the said period of three years from the due date of furnishing the said details."

Amendment of 10. After sub-section (10) of section 39 of the principal Act, the following subsection 39 of section shall be added, namely:-Haryana Act 19 of

> "(11)A registered person shall not be allowed to furnish a return for a tax period after the expiry of a period of three years from the due date of furnishing the said return:

> Provided that the Government may, on the recommendations of the Council, by notification, subject to such conditions and restrictions as may be specified therein, allow a registered person or a class of registered persons to furnish the return for a tax period, even after the expiry of the said period of three years from the due date of furnishing the said return."

Amendment of

2017.

- Section 44 of the principal Act shall be re-numbered as sub-section (1) section 44 of Haryana Act 19 of thereof and after sub-section (1) so re-numbered, the following sub-section shall be added, namely:-
  - "(2) A registered person shall not be allowed to furnish an annual return under sub-section (1) for a financial year after the expiry of a period of three years from the due date of furnishing the said annual

Provided that the Government may, on the recommendations of the Council, by notification, and subject to such conditions and restrictions as may be specified therein, allow a registered person or a class of registered persons to furnish an annual return for a financial year under sub-section (1), even after the expiry of the said period of three years from the due date of furnishing the said annual return.".

Amendment of section 52 of Harvana Act 19 of 2017.

After sub-section (14) of section 52 of the principal Act, the following subsection shall be added, namely:-

> "(15)The operator shall not be allowed to furnish a statement under sub-section (4) after the expiry of a period of three years from the due date of furnishing the said statement:

> Provided that the Government may, on the recommendations of the Council, by notification, subject to such conditions and restrictions

as may be specified therein, allow an operator or a class of operators to furnish a statement under sub-section (4), even after the expiry of the said period of three years from the due date of furnishing the said statement.".

In sub-section (6) of section 54 of the principal Act, the words and sign Amendment of "excluding the amount of input tax credit provisionally accepted," shall be omitted.

section 54 of Haryana Act 19 of 2017.

In section 56 of the principal Act, for the words "from the date immediately after the expiry of sixty days from the date of receipt of application under the said sub-section till the date of refund of such tax", the words and sign "for the period of delay beyond sixty days from the date of receipt of such application till the date of refund of such tax, to be computed in such manner and subject to such conditions and restrictions, as may be prescribed" shall be substituted.

Amendment of section 56 of Haryana Act 19 of 2017.

- 15. In sub-section (2) of section 62 of the principal Act,-
  - (a) for the words "thirty days", the words "sixty days" shall be Haryana Act 19 substituted:

Amendment of section 62 of of 2017.

- (b) for the sign "." existing at the end, the sign ":" shall be substituted; and
- (c) the following proviso shall be added, namely:-

"Provided that where the registered person fails to furnish a valid return within sixty days of the service of the assessment order under sub-section (1), he may furnish the same within a further period of sixty days on payment of an additional late fee of one hundred rupees for each day of delay beyond sixty days of the service of the said assessment order and in case he furnishes valid return within such extended period, the said assessment order shall be deemed to have been withdrawn, but the liability to pay interest under sub-section (1) of section 50 or to pay late fee under section 47 shall continue.".

For section 109 of the principal Act, the following section shall be substituted, 16. namely:-

Substitution of section 109 of Haryana Act 19 of 2017.

"109. Constitution of Appellate Tribunal and Benches thereof.-Subject to the provisions of this Chapter, the Goods and Services Tax Tribunal constituted under the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (Central Act 12 of 2017) shall be the Appellate Tribunal for hearing appeals against the orders passed by the Appellate Authority or the Revisional Authority under this Act.".

Section 110 of the principal Act shall be omitted. 17.

Omission of section 110 of Haryana Act 19 of 2017.

Omission of section 114 of Haryana Act 19 of 2017.

Amendment of section 117 of Haryana Act 19 of 2017.

- 18. Section 114 of the principal Act shall be omitted.
- 19. In section 117 of the principal Act,-
  - (a) in sub-section (1), for the words "State Bench or Area Benches", the words "State Benches" shall be substituted; and
  - (b) in sub-section (5), in clauses (a) and (b), for the words "State Bench or Area Benches", the words "State Benches" shall be substituted.

Amendment of section 118 of Haryana Act 19 of 2017.

Amendment of section 119 of Haryana Act 19 of 2017.

- 20. In clause (a) of sub-section (1) of section 118 of the principal Act, for the words "National Bench or Regional Benches", the words "Principal Bench" shall be substituted.
- 21. In section 119 of the principal Act,-
  - (a) for the words "National or Regional Benches", the words "Principal Bench" shall be substituted; and
  - (b) for the words "State Bench or Area Benches", the words "State Benches" shall be substituted.

Amendment of section 122 of Haryana Act 19 of 2017.

- 22. After sub-section (1A) of section 122 of the principal Act, the following sub-section shall be inserted, namely:-
  - "(1B) Any electronic commerce operator who-
    - allows a supply of goods or services or both through it by an unregistered person other than a person exempted from registration by a notification issued under this Act to make such supply;
    - (ii) allows an inter-State supply of goods or services or both through it by a person who is not eligible to make such inter-State supply; or
    - (iii) fails to furnish the correct details in the statement to be furnished under sub-section (4) of section 52 of any outward supply of goods effected through it by a person exempted from obtaining registration under this Act,

shall be liable to pay a penalty of ten thousand rupees, or an amount equivalent to the amount of tax involved had such supply been made by a registered person other than a person paying tax under section 10, whichever is higher.".

Amendment of section 132 of Haryana Act 19 of 2017.

- 23. In sub-section (1) of section 132 of the principal Act,-
  - (a) clauses (g), (j) and (k) shall be omitted;

- (b) in clause (l), for the words, brackets and letters "clauses (a) to (k)", the words, brackets and letters "clauses (a) to (f) and clauses (h) and (i)" shall be substituted;
- (c) in clause (iii), for the words "any other offence", the words, brackets and letter "an offence specified in clause (b)," shall be substituted; and
- (d) in clause (iv), the words, brackets and letters "or clause (g) or clause (j)" shall be omitted.
- 24. In section 138 of the principal Act,-
  - (a) in sub-section (1), in the first proviso,-

- Amendment of section 138 of Haryana Act 19 of 2017
- (i) for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:-
  - "(a) a person who has been allowed to compound once in respect of any of the offences specified in clauses (a) to (f), (h), (i) and (l) of sub-section (1) of section 132;";
- (ii) clause (b) shall be omitted;
- (iii) for clause (c), the following clause shall be substituted, namely:-
- "(c) a person who has been accused of committing an offence under clause (b) of sub-section (1) of section 132;";
- (iv) clause (e) shall be omitted; and
- (b) in sub-section (2), for the words and signs "ten thousand rupees or fifty percent of the tax involved, whichever is higher, and the maximum amount not being less than thirty thousand rupees or one hundred and fifty percent of the tax, whichever is higher", the words and sign "twenty-five percent of the tax involved and the maximum amount not being more than one hundred percent of the tax involved" shall be substituted.
- 25. After section 158 of the principal Act, the following section shall be inserted, Insertion of section 158A

Insertion of section 158A of Haryana Act 19 of 2017.

"158A. Consent based sharing of information furnished by taxable of 2017. person.-(1) Notwithstanding anything contained in sections 133, 152 and 158, the following details furnished by a registered person may, subject to the provisions of sub-section (2), and on the recommendations of the Council, be shared by the common portal with such other systems, as may be notified by the Government, in such manner and subject to such conditions, as may be prescribed, namely:-

- (a) particulars furnished in the application for registration under section 25 or in the return filed under section 39 or under section 44:
- (b) the particulars uploaded on the common portal for preparation of invoice, the details of outward supplies furnished under section37 and the particulars uploaded on the common portal for generation of documents under section 68;
- (c) such other details, as may be prescribed.
- (2) For the purposes of sharing details under sub-section (1), the consent shall be obtained, of -
  - (a) the supplier, in respect of details furnished under clauses (a), (b) and (c) of sub-section (1); and
  - (b) the recipient, in respect of details furnished under clause (b) of sub-section (1), and under clause (c) of sub-section (1) only where such details include identity information of the recipient,

in such form and manner as may be prescribed.

- (3) Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, no action shall lie against the Government or the common portal with respect to any liability arising consequent to information shared under this section and there shall be no impact on the liability to pay tax on the relevant supply or as per the relevant return."
- Amendment of Schedule III to Haryana Act 19 of 2017 and retrospective exemption to certain activities and transactions.
- 26. In Schedule III to the principal Act,-
  - (a) in paragraph 6, for the words and sign "lottery, betting and gambling" the words "specified actionable claims" shall be substituted.
  - (b) (i) paragraphs 7 and 8 and the Explanation 2 thereof (as inserted vide section 31 of the Haryana Act 25 of 2018) shall be deemed to have been inserted therein with effect from the 1st day of July, 2017.
    - (ii) no refund shall be made of all the tax which has been collected, but which would not have been so collected, had clause (i) been in force at all material times.

Transitory provision.

27. The amendments made under this Act shall be without prejudice to provisions of any other law for the time being in force, providing for prohibiting, restricting or regulating betting, casino, gambling, horse racing, lottery or online gaming.

### STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (the Act) was enacted with a view to make a provision for levy and collection of tax on intra-State supply of goods or services or both by the State Government.

- 2. It is proposed to amend the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 on the basis of the recommendations made by the GST Council and on the lines of amendments carried out in the Central Goods and Services Tax Act, 2017 by Finance Act, 2023 (Central Act 8 of 2023) and Central Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2023 (Central Act 30 of 2023).
- 3. The proposed Haryana Goods and Services Tax (Amendment) Bill, 2023, *inter alia*, provides for the following, namely:—
  - (i) to amend second and third provisos to sub-section (2) of section 16 of the Act to align the said sub-section with the return filing system provided in the said Act;
  - (ii) to amend sub-section (5) of section 17 of the Act so as to provide that input tax credit shall not be available in respect of goods or services or both received by a taxable person which are used or intended to be used for activities relating to his obligations under corporate social responsibility referred to in section 135 of the Companies Act, 2013;
  - (iii) to insert a new sub-section (5) in section 37 of the Act so as to provide a time limit of three years upto which the details of outward supplies under sub-section (1) of the said section for a tax period can be furnished by a registered person. It further seeks to empower the Government, on the recommendation of the Council, to extend by notification, the said time limit for a registered person or a class of registered persons, subject to certain conditions and restrictions;
  - (iv) to insert a new sub-section (11) in section 39 of the Act so as to provide a time limit of three years upto which the return for a tax period can be furnished by a registered person. It further seeks to empower the Government, on the recommendation of the council, to extend by notification, the said time limit for a registered person or a class of registered persons, subject to certain conditions and restrictions;
  - (v) to insert a new sub-section (2) in section 44 of the Central Goods and Services Tax Act so as to provide a time limit of three years upto which the annual return under sub-section (1) of the said section for a financial year can be furnished by a registered person. It further seeks to empower the Government, on the recommendation of the Council, to extend by notification, the

- said time limit for a registered person or a class of registered persons, subject to certain conditions and restrictions;
- (vi) to amend section 56 of the Act so as to provide by rules the manner of computation of period of delay for calculation of interest on delayed refunds;
- (vii) to amend sub-section (2) of section 138 of the Act so as to rationalise the amount for compounding of various offences by reducing the minimum as well as maximum amount for compounding.
- (viii) to amend certain sections as well as schedule III of the Act so as to provide clarity regarding taxability of Casinos, Horse Racing and Online Gaming.
- 4. The Bill seeks to achieve the above objectives.

DUSHYANT CHAUTALA

Deputy Chief Minister, Haryana

The Governor has, in pursuance of Clauses (1) and (3) of Article 207 of the Constitution of India, recommended to the Haryana legislative Assembly the introduction and consideration of the Bill.

Chandigarh: The 24th August, 2023.

R.K. NANDAL, Secretary.

N.B.— The above Bill was published in the Haryana Government Gazette (Extraordinary), dated the 24th August, 2023, under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly.

## **Financial Memorandum**

The proposed Haryana Goods and Services Tax (Amendment) Bill, 2023 does not involve any recurring or non-recurring expenditure from the Consolidated Fund of State.

DUSHYANT CHAUTALA Deputy Chief Minister, Haryana

### **ANNEXURE**

# EXTRACT FROM THE HARYANA GOODS AND SERVICES TAX ACT, 2017

(19 of 2017)

Definitions	In this	Act, un	less the co	ntext other	rwise requi	res,—			
		*	*		*	*	*		
*	(80)	*	*		*	*	*		
	(102)	*	*		*	*	*		
	(105)	supply acting	ring the sa	id goods o behalf of s	r services	rvices or both, or both and s er in relation to	shall inclu	ide an ag	ent
	(117)	*	*		*	*	*		*
Composition	10.	(1)	*		*	*	*		*
levy	if.—	(2) T	he register	red person	shall be el	igible to opt	under sub	-section (	(1),
		(a	a) *	*	;	*	*	*	
		(t	o) *	*	2	*	*	*	
		(0	e) *	*	:	*	*	*	
		(0	through	h an electro		ng any supply erce operator on 52;			
		(e)	*	*	n 192	*	*	*	
		(f)	*	*	:	*	*	*	
		P	rovided *	*		*	*		*

(2A) Notwithstanding anything to the contrary contained in this Act, but subject to the provisions of subsections (3) and (4) of section 9, a registered person, not eligible to opt to pay tax under sub-sections (1) and (2), whose aggregate turnover in the preceding financial year did not exceed fifty lakh rupees, may opt to pay, in lieu of the tax payable by him under sub-section (1) of section 9, an amount of tax calculated at such rate, as may be prescribed, but not exceeding three percent of the turnover in State, if he is not—

	(a)	*	*	*	*	*		
	(b)	*	*	*	*	*		
	(c)	engaged tronic co der secti	mmerce oper	y supply ator who	of goods is require	or services ed to collect	through an elec- tax at source un-	
	(d)	*	*	*	*	*		
	(e)	*	*	*	*	*		
	Prov	vided *	*	*	*	*		
16.	(1)	*	*	*	*	*		Eligibility and
person goods	(2) shal or se	ll be entitl	tanding anytl ed to the cred both to him u	it of any	tained in input tax	this section in respect	n, no registered of any supply of	conditions for taking input tax credit.
	(a)	*	*	*		*	*	
	(aa)	*	*	*		*	*	
	(b)	*	*	*		*	*	
	(ba)	*	*	*		*	*	
	(c)	*	*	*		*	*	
	(d)	*	*	*		*	*	
	Prov	ided *	*		*	* *		•
	Prov	ided furth	er that where	a recipier	nt fails to	pay to the si	upplier of goods	

Provided further that where a recipient fails to pay to the supplier of goods or services or both, other than the supplies on which tax is payable on reverse charge basis, the amount towards the value of supply along with tax payable thereon within a period of one hundred and eighty days from the date of issue of invoice by the supplier, an amount equal to the input tax credit availed by the recipient shall be added to his output tax liability, along with interest thereon, in such manner as may be prescribed:

Provided also that the recipient shall be entitled to avail of the credit of input tax on payment made by him of the amount towards the value of supply of goods or services or both along with tax payable thereon.

17. (1) \* \* \* \* \* \* Apportionment of credit and blocked (2) \* \* \* \* \* \* credits

(3) The value of exempt supply under sub-section (2) shall be such as may be prescribed, and shall include supplies on which the recipient is liable to pay tax on reverse charge basis, transactions in securities, sale of land and, subject to clause (b) of paragraph 5 of Schedule II, sale of building.

**Explanation**.-For the purposes of this sub-section, the expression "value of exempt supply" shall not include the value of activities or transactions specified in Schedule III, except those specified in paragraph 5 of the said Schedule.

(4) \* \* \* \* \*

(5) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) of section 16 and subsection (1) of section 18, input tax credit shall not be available in respect of the following, namely:-

(a) *	*	*	*	*
(b) *	*	*	*	*
(c) *	*	*	*	*
(d) *	*	*	*	*
(e) *	*	*	* * .	*
(f) *	*	*	*	*
(g) *	*	*	*	*
(h) *	*	*	*	*
(i) *	*	*	*	*
*	*	*	*	*

Persons not liable 23. for registration

.

(1)

(2) The Government may, on the recommendations of the Council, by notification, specify the category of persons who may be exempted from obtaining registration under this Act.

Compulsory registration in certain cases

24. Notwithstanding anything contained in sub-section (1) of section 22, the following categories of persons shall be required to be registered under this Act.—

\* \* \* \* \* \*

(xi) every person supplying online information and database access or retrieval services from a place outside India to a person in India, other than a registered person; and

\* \* \* \* \* \*

Revocation of 30. cancellation of son registration appr

30. (1) Subject to such conditions, as may be prescribed, any registered person, whose registration is cancelled by the proper officer on his own motion, may apply to such officer for revocation of cancellation of the registration in the prescribed manner within thirty days from the date of service of the cancellation order.

Provided that such period may, on sufficient cause being shown, and for reasons to be recorded in writing, be extended,-

 (a) by the Additional Commissioner or the Joint Commissioner, as the case may be, for a period not exceeding thirty days; (b) by the Commissioner, for a further period not exceeding thirty days,

	be	yond the period spe	ecified in claus	e (a).	ang unity duy	,
37.	(1) *	*	*	*	*	Furnishing details
	(2) *	*	*	*	*	of outward supplies.
	(3) ***	*	*	*	*	
	(4) *	*	*	*	*	
39.	(1) *	*	*	*	*	Furnishing of
	(2) *	*	*	*	*	returns.
	(3) *	*	*	*	*	
	(4) *	*	*	*	*	
	(5) *	*	*	*	*	
	(6) *	*	*	*	*	
	(7) *	*	*	*	*	
	(8) *	*	*	*	*	
	(9) *	*	*	*	*	
	(10)*	*	*	*	*	

(1) Every registered person, other than an Input Service Distributor, a Annual return. 44. person paying tax under section 51 or section 52, a casual taxable person and a non-resident taxable person shall furnish an annual return which may include a self-certified reconciliation statement, reconciling the value of supplies declared in the return furnished for the financial year, with the audited annual financial statement for every financial year electronically, within such time and in such form and in such manner, as may be prescribed:

Provided that the Commissioner may, on the recommendations of the Council, by notification, exempt any class of registered persons from filing annual return under this section:

Provided further that nothing contained in this section shall apply to any department of the Central Government or a State Government or a local authority, whose books of account are subject to audit by the Comptroller and Auditor General of India or an auditor appointed for auditing the accounts of local authorities under any law for the time being in force.

52.	(1)*	*	*	*	*	Collection of tax
	(2)*	*	*	*	*	at source.
	(3)*	*	*	*	*	
	(4)*	*	*	*	*	

	(5)*	*	*	*	*
	(6)*	*	*	*	*
	(7)*	*	*	*	*
	(8)*	*	*	*	*
	(9)*	*	*	*	*
	(10)*	*	*	*	*
	(11)*	*	*	*	*
	(12)*	*	*	*	*
	(13)*	*	*	*	*
	(14)*	*	*	*	*
54.	(1) *	*	*	*	*
	(2)*	*	*	*	*
	(3)*	*	*	*	*
	(4)*	*	*	*	*
	(5)*	*	*	*	*

(6) Notwithstanding anything contained in sub-section (5), the proper officer may, in the case of any claim for refund on account of zero-rated supply of goods or services or both made by registered persons, other than such category of registered persons as may be notified by the Government on the recommendations of the Council, refund on a provisional basis, ninety percent of the total amount so claimed, excluding the amount of input tax credit provisionally accepted, in such manner and subject to such conditions, limitations and safeguards, as may be prescribed and thereafter make an order under sub-section (5) for final settlement of the refund claim after due verification of documents furnished by the applicant.

Interest on delayed refunds.

Refund of tax.

56. If any tax ordered to be refunded under sub-section (5) of section 54 to any applicant is not refunded within sixty days from the date of receipt of application under sub-section (1) of that section, interest at such rate not exceeding six percent as may be specified in the notification issued by the Government on the recommendations of the Council shall be payable in respect of such refund from the date immediately after the expiry of sixty days from the date of receipt of application under the said sub-section till the date of refund of such tax:

Provided \* \* \* \* \* \* 62. (1) \* \* \* \*

Assessment of non-filers of returns

(2) Where the registered person furnishes a valid return within thirty days of the service of the assessment order under sub-section (1), the said assessment order shall be deemed to have been withdrawn but the liability for payment of

interest under sub-section (1) of section 50 or for payment of late fee under section

(1) Subject to the provisions of this Chapter, the Goods and Services Tax Appellate Tribunal constituted under the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (Central Act 12 of 2017) shall be the Appellate Tribunal for hearing appeals against the orders passed by the Appellate Authority or the Revisional Authority under this

Benches thereof.

- (2) The constitution and jurisdiction of the State Bench and the Area Benches located in the State shall be in accordance with the provisions of section  $109\, of\, the\, Central\, Goods\, and\, Services\, Tax\, Act,\, 2017\, (Central\, Act\, 12\, of\, 2017)\, or\, the\,$ rules made thereunder.
- The qualifications, appointment, salary and allowances, terms of office, resignation and removal of the President and Members of the State Bench and Area Benches shall be in accordance with the provisions of section 110 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (Central Act 12 of 2017).

President and Appellate Tribunal, their qualification, appointment, conditions of service, etc.

The State President shall exercise such financial and administrative powers over the State Bench and Area Benches of the Appellate Tribunal in a State, as may be prescribed:

Financial and administrative powers of State President

Provided that the State President shall have the authority to delegate such of his financial and administrative powers as he may think fit to any other Member or any officer of the State Bench or Area Benches, subject to the condition that such Member or officer shall, while exercising such delegated powers, continue to act under the direction, control and supervision of the State President.

Any person aggrieved by any order passed by the State Bench or Area Appeal to High Benches of the Appellate Tribunal may file an appeal to the High Court and the Court. High Court may admit such appeal, if it is satisfied that the case involves a substantial question of law.

- (2)(3) (4)
- The High Court may determine any issue which-(5)
  - has not been determined by the State Bench or Area Benches; or
  - has been wrongly determined by the State Bench or Area Benches, by reason of a decision on such question of law as herein referred to in sub-section (3).
- 118. (1) An appeal shall lie to the Supreme Court-

Appeal to Supreme Court.

from any order passed by the National Bench or Regional Benches of the Appellate Tribunal; or

Sums due to be paid notwithstanding appeal etc.

Notwithstanding that an appeal has been preferred to the High Court or the Supreme Court, sums due to the Government as a result of an order passed by the National or Regional Benches of the Appellate Tribunal under sub-section (1) of section 113 or an order passed by the State Bench or Area Benches of the Appellate Tribunal under sub-section (1) of section 113 or an order passed by the High Court under section 117, as the case may be, shall be payable in accordance with the order so passed.

Penalty for certain offences

- 122. (1) \*(1A) Any person who retains the benefit of a transaction covered under
  - clauses (i), (ii), (vii) or clause (ix) of sub-section (1) and at whose instance such transaction is conducted, shall be liable to a penalty of an amount equivalent to the tax evaded or input tax credit availed of or passed on.

Punishment for certain offences

- (1) Whoever commits, or causes to commit and retain the benefits arising out of, any of the following offences, namely:-
  - (a) (b) (c) (d) (e) (f)
  - obstructs or prevents any officer in the discharge of his duties under (g) this Act;
  - (h) (i)
  - tampers with or destroys any material evidence or documents; **(j)**
  - fails to supply any information which he is required to supply under (k) this Act or the rules made thereunder or (unless with a reasonable belief, the burden of proving which shall be upon him, that the information supplied by him is true) supplies false information; or
  - attempts to commit, or abets the commission of any of the offences mentioned in clauses (a) to (k) of this section, shall be punishable-
    - (i) (ii) \*
    - (iii) in the case of any other offence where the amount of tax evaded or the amount of input tax credit wrongly availed or utilised or the amount of refund wrongly taken exceeds one hundred lakh rupees

but does not exceed two hundred lakh rupees, with imprisonment for a term which may extend to one year and with fine;

(iv) in cases where he commits or abets the commission of an offence specified in clause (f) or clause (g) or clause (j), he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months or with fine or with both

punishable with imprisonment for a term which may extend to simulation months or with fine or with both.

138. (1) \* \* \* \* \* \* \*

Provided that nothing contained in this section shall apply to -

Compounding of offences

- (a) a person who has been allowed to compound once in respect of any of the offences specified in clauses (a) to (f) of sub-section (1) of section 132 and the offences specified in clause (l) which are relatable to offences specified in clauses (a) to (f) of the said sub-section:
- (b) a person who has been allowed to compound once in respect of any offence, other than those in clause (a), under this Act or under the provisions of any State Goods and Services Tax Act, or the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (Central Act 12 of 2017) or the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (Central Act 13 of 2017) in respect of supplies of value exceeding one crore rupees;
- (c) a person who has been accused of committing an offence under this Act which is also an offence under any other law for the time being in force;

(d) \* \* \* \* \* \*

(e) a person who has been accused of committing an offence specified in clause (g) or clause (j) or clause (k) of sub-section (1) of section 132; and

(2) The amount for compounding of offences under this section shall be such, as may be prescribed, subject to the minimum amount not being less than ten thousand rupees or fifty percent of the tax involved, whichever is higher, and the maximum amount not being less than thirty thousand rupees or one hundred and fifty percent of the tax, whichever is higher.

158. (1) \* \* \* \* \* \* Disclosure of information by a public servant.

(2) \* \* \* \* \* \* \* public servant.

# SCHEDULE III [See Section 7]

# ACTIVITIES OR TRANSACTIONS WHICH SHALL BE TREATED NEITHER AS A SUPPLY OF GOODS NOR A SUPPLY OF SERVICES

- 6. Actionable claims, other than lottery, betting and gambling.
- 7. Supply of goods from a place outside India to another place outside India without such goods entering into India.
- 8. (a) Supply of warehoused goods to any person before clearance for home consumption;
- (b) Supply of goods by the consignee to any other person, by endorsement of documents of title to the goods, after the goods have been dispatched from the port of origin located outside India but before clearance for home consumption.

Explanation.-

\* \* \*

2. For the purposes of paragraph 8, the expression "warehoused goods" shall have the same meaning as assigned to it in the Customs Act, 1962 (Central Act 52 of 1962).

10556—H.V.S.—H.G.P., Pkl.

### हरियाणा विधान सभा

2023 का विधेयक संख्या-12 एच०एल०ए०

हरियाणा माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 को आगे संशोधित करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

(1) यह अधिनियम हरियाणा माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2023 कहा संक्षिप्त नाम तथा जा सकता है।

(2) धारा 2 से 27 के उपबन्ध ऐसी तिथि से लागू होंगे, जिसे सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे :

परन्तु सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों के प्रारम्भ के लिए भिन्न-भिन्न तिथियां नियत कर सकती है।

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल 2017 के हरियाणा अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में,-

अधिनियम 19 की धारा 2 का संशोधन।

- (क) खण्ड (80) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखे जाएंगे, अर्थात् :--
  - '(80क) "ऑनलाइन गेम खेलना" से अभिप्राय है, इंटरनेट या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर गेम की प्रस्थापना और इसके अन्तर्गत ऑनलाइन धनीय गेम खेलना भी है ;
  - (80ख) "ऑनलाइन धनीय गेम खेलना" से अभिप्राय है, ऐसा ऑनलाइन गेम खेलना, जिसमें खिलाड़ी किसी आयोजन में, जिसमें गेम, स्कीम, प्रतिस्पर्धा या कोई अन्य क्रियाकलाप या प्रक्रिया भी है, धन या धन के मूल्य, जिसके अन्तर्गत आभासी डिजिटल आस्तियां भी हैं, को जीतने की प्रत्याशा में, धन या धन के मूल्य का भूगतान करता है या जमा करता है, जिसके अन्तर्गत आभासी डिजिटल आस्तियां भी हैं, चाहे इसका परिणाम या निष्पादन कौशल, अवसर या दोनों पर आधारित हो या नहीं तथा चाहे वह तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन अनुज्ञेय हो या नहीं;';

- (ख) खण्ड (102) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :— '(102क) "विनिर्दिष्ट अनुयोज्य दावे" से अभिप्राय है—
  - (i) दांव लगाने;
  - (ii) कैसिनो;
  - (iii) द्यूतक्रीड़ा;
  - (iv) घुड़दौड़;
  - (v) लाटरी; या
  - (vi) ऑनलाइन धनीय गेम खेलने,

में अन्तर्वलित या उनके माध्यम से अनुयोज्य दावा';

- (ग) खण्ड (105) में,-
  - (i) अन्त में विद्यमान ";" चिह्न के स्थान पर, ":" चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा; तथा
  - (ii) निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :--

"परन्तु कोई व्यक्ति, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, विनिर्दिष्ट अनुयोज्य दावों की पूर्ति का आयोजन या व्यवस्था करता है, जिसके अन्तर्गत वह व्यक्ति भी है, जो ऐसी पूर्ति के लिए डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म का स्वामी है या उसका प्रचालन या प्रबंधन करता है, ऐसे अनुयोज्य दावों का पूर्तिकार समझा जाएगा, चाहे ऐसे अनुयोज्य दावें, उसके द्वारा या उसके माध्यम से पूर्ति किए जाते हों और चाहे ऐसे अनुयोज्य दावों की पूर्ति के लिए धन या धन के मूल्य, जिसके अन्तर्गत आभासी डिजिटल आस्तियां भी हैं, में प्रतिफल, उसको या उसके माध्यम से भुगतान या सूचित किए जाते हैं या किसी भी रीति में उसको दिए जाते हैं, और इस अधिनियम के सभी उपबन्ध विनिर्दिष्ट अनुयोज्य दावों के ऐसे पूर्तिकार को लागू होंगे, मानो वह ऐसे अनुयोज्य दावों की पूर्ति करने के संबंध में कर का भुगतान करने के लिए दायी पूर्तिकार हो ;"; तथा

(घ) खण्ड (117) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्:--

'(117क) "आभासी डिजिटल आस्ति" का वही अर्थ होगा, जो आय—कर अधिनियम, 1961 (1961 का केन्द्रीय अधिनियम 43) की धारा 2 के खंड (47क) में उसे दिया गया हैं;'। 3. मूल अधिनियम की धारा 10 में,-

(क) उप-धारा (2) के खण्ड (घ) में, "माल या" शब्दों का लोप कर दिया जाएगा;

2017 के हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 10 का संशोधन।

- (ख) उप-धारा (२क) के खण्ड (ग) में, "माल या" शब्दों का लोप कर दिया जाएगा।
- मूल अधिनियम की धारा 16 की उप-धारा (2) में,-

(क) द्वितीय परन्तुक में, "को, उस पर ब्याज के साथ, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, उसके आउटपुट कर दायित्व में जोड़ दिया जाएगा" शब्दों और चिह्नों के स्थान पर, "ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में धारा 50 के अधीन भुगतानयोग्य ब्याज सहित उसके द्वारा भुगतान की जाएगी" शब्द, चिह्न और अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे; तथा

2017 के हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 16 का संशोधन।

- (ख) तृतीय परन्तुक में, ''उसके द्वारा'' शब्दों के बाद, ''प्रदायकर्ता को'' शब्द रखे जाएंगे।
- मूल अधिनियम की धारा 17 में,-5.

(क) उप-धारा (3) में, व्याख्या में, ''सिवाय उनके जो उक्त अनुसूची के पैरा 5 में विनिर्दिष्ट हैं" शब्दों तथा अंकों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

2017 के हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 17 का

''सिवाय,-

- उक्त अनुसूची के पैरा 5 में विनिर्दिष्ट क्रियाकलापों या संव्यवहारों के मूल्य; तथा
- ऐसे क्रियाकलापों या संव्यवहारों के मूल्य, जो उक्त अनुसूची के पैरा 8 के खण्ड (क) के संबंध में विहित किए जाएं।"; तथा
- (ख) उप–धारा (5) के खण्ड (च) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्:--
  - "(चक) किसी कराधेय व्यक्ति द्वारा प्राप्त किए गए माल या सेवाएं या दोनों, जो कम्पनी अधिनियम, 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम 18) की धारा 135 में निर्दिष्ट निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के अधीन अपनी बाध्यताओं से संबंधित क्रियाकलापों के लिए उपयोग की जाती हैं अथवा उपयोग किए जाने के लिए आशयित हैं;"।
- मूल अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित 2017 के हरियाणा उप-धारा प्रतिस्थापित की जाएगी और जुलाई, 2017 के प्रथम दिन से प्रतिस्थापित की गई समझी जाएगी, अर्थात् :-

अधिनियम 19 की धारा 23 का संशोधन।

''(2) धारा 22 की उप—धारा (1) अथवा धारा 24 में दी गई किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों

और निर्बन्धनों, जो इसमें विनिर्दिष्ट किए जाएं, के अध्यधीन, व्यक्तियों का प्रवर्ग विनिर्दिष्ट कर सकती है, जिसे इस अधिनियम के अधीन रिजस्ट्रीकरण प्राप्त करने से छूट दी जा सकती है।"।

2017 के हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 24 का संशोधन।

- 7. मूल अधिनियम की धारा 24 में,-
  - (क) खण्ड (xi) में, अन्त में विद्यमान ''और'' शब्द का लोप कर दिया जाएगा; तथा
  - (ख) खण्ड (xi) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्:--
    - ''(xiक) भारत से बाहर किसी स्थान से भारत में किसी व्यक्ति को ऑनलाइन धनीय गेम खेलने की पूर्ति करने वाला प्रत्येक व्यक्ति ; और''।

2017 के हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 30 का संशोधन।

- 8. मूल अधिनियम की धारा 30 की उप—धारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप—धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--
  - "(1) ऐसी शर्तों, जो विहित की जाएं, के अध्यधीन कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसका रजिस्ट्रीकरण किसी समुचित अधिकारी द्वारा स्वप्रेरणा से रद्द किया गया है, ऐसी रीति में, ऐसे समय के भीतर तथा ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों, जो विहित किए जाएं, के अध्यधीन ऐसे अधिकारी को रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के लिए आवेदन कर सकता है।"।

2017 के हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 37 का संशोधन।

- 9. मूल अधिनियम की धारा 37 की उप—धारा (4) के बाद, निम्नलिखित उप—धारा जोड़ी जाएगी, अर्थात् :--
  - "(5) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को किसी कर अवधि के लिए उप—धारा (1) के अधीन जावक प्रदायों के ब्यौरे प्रस्तुत करने हेतु उक्त ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए नियत तिथि से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद अनुमत नहीं किया जाएगाः

परन्तु सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों, जो इसमें विनिर्दिष्ट किए जाएं, के अध्यधीन किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग को किसी कर अविध के लिए उप—धारा (1) के अधीन जावक प्रदायों के ब्यौरे प्रस्तुत करने हेतु, उक्त ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए नियत तिथि से तीन वर्ष की उक्त अविध की समाप्ति के बाद भी अनुमत कर सकती है।"।

2017 के हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 39 का संशोधन।

- 10. मूल अधिनियम की धारा 39 की उप—धारा (10) के बाद, निम्नलिखित उप—धारा जोड़ी जाएगी, अर्थात्:—
  - "(11) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को किसी कर अवधि के लिए विवरणी प्रस्तुत करने हेतु उक्त विवरणी प्रस्तुत करने के लिए नियत तिथि से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद अनुमत नहीं किया जाएगाः

परन्तु सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों, जो इसमें विनिर्दिष्ट किए जाएं, के अध्यधीन किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग को किसी कर अवधि के लिए विवरणी प्रस्तुत करने हेतु, उक्त विवरणी प्रस्तुत करने के लिए नियत तिथि से तीन वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति के बाद भी अनुमत कर सकती है।"।

11. मूल अधिनियम की धारा 44 को उसकी उप-धारा (1) के रूप में पुनः संख्यांकित किया 2017 के हरियाणा जाएगा तथा इस प्रकार पुनः संख्यांकित उप-धारा (1) के बाद, निम्नलिखित उप-धारा जोड़ी जाएगी, अर्थात् :-

अधिनियम 19 की धारा 44 का संशोधन।

"(2) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को किसी वित्तीय वर्ष के लिए उप-धारा (1) के अधीन वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने हेतु उक्त वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने के लिए नियत तिथि से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद अनुमत नहीं किया जाएगा:

परन्तु सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा तथा ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों, जो इसमें विनिर्दिष्ट किए जाएं, के अध्यधीन किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग को उप-धारा (1) के अधीन किसी वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने हेतु, उक्त वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने के लिए नियत तिथि से तीन वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति के बाद भी अनुमत कर सकती है।"।

12. मूल अधिनियम की धारा 52 की उप–धारा (14) के बाद, निम्नलिखित उप–धारा जोड़ी जाएगी, अर्थात् :--

2017 के हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 52 का संशोधन।

"(15) प्रचालक को उप-धारा (4) के अधीन कोई विवरण प्रस्तुत करने हेतु उक्त विवरण प्रस्तुत करने के लिए नियत तिथि से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद अनुमत नहीं किया जाएगा:

परन्तु सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों, जो उसमें विनिर्दिष्ट किए जाएं, के अध्यधीन किसी प्रचालक या प्रचालकों के वर्ग को उप-धारा (4) के अधीन कोई विवरण प्रस्तुत करने हेतु, उक्त विवरण प्रस्तुत करने के लिए नियत तिथि से तीन वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति के बाद भी अनुमत कर सकती है।"।

मूल अधिनियम की धारा 54 की उप-धारा (6) में, '',जिसमें स्वीकृत इनपुट कर प्रत्यय की राशि को छोड़कर," चिह्न तथा शब्दों का लोप कर दिया जाएगा।

2017 के हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 54 का संशोधन।

मूल अधिनियम की धारा 56 में, ''उक्त धारा के अधीन आवेदन की प्राप्ति की तिथि से साठ दिन की समाप्ति के तुरन्त पश्चात् की तिथि से ऐसे कर का प्रतिदाय करने की तिथि तक" शब्दों के स्थान पर, "ऐसे आवेदन की प्राप्ति की तिथि से ऐसे कर का प्रतिदाय करने की तिथि पर्यन्त साठ दिन से अधिक की विलंब अवधि के लिए ऐसे प्रतिदाय के संबंध में, ऐसी रीति में तथा ऐसी शर्तों तथा निर्बन्धनों, जो विहित किए जाएं, के अध्यधीन संगणित किया जाने वाला" शब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

2017 के हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 56 का संशोधन।

मूल अधिनियम की धारा 62 की उप-धारा (2) में, -

2017 के हरियाणा अधिनियम 19 की

(क) ''तीस दिन'' शब्दों के स्थान पर, ''साठ दिन'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

धारा 62 का

(ख) अंत में विद्यमान ''।'' चिह्न के स्थान पर, ''ः'' चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा; तथा

(ग) निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :--

"परन्तु जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उप—धारा (1) के अधीन निर्धारण आदेश की तामील के साठ दिन के भीतर विधिमान्य विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो वह उक्त निर्धारण आदेश की तामील के साठ दिन से अधिक विलंब के प्रत्येक दिन के लिए एक सौ रूपये की अतिरिक्त विलंब फीस के भुगतान पर आगे साठ दिन की अवधि के भीतर उसे प्रस्तुत कर सकता है तथा यदि वह ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर विधिमान्य विवरणी प्रस्तुत करता है, तो उक्त निर्धारण आदेश का प्रतिसंहरण किया गया समझा जाएगा, किन्तु धारा 50 की उप—धारा (1) के अधीन ब्याज का भुगतान करने या धारा 47 के अधीन विलंब फीस का भुगतान करने का दायित्व बना रहेगा।"।

2017 के हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 109 का प्रतिस्थापन। **16.** मूल अधिनियम की धारा 109 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

"109. अपील अधिकरण और उसकी न्यायपीठों का गठन.— इस अध्याय के उपबंधों के अध्यधीन, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का केन्द्रीय अधिनियम 12) के अधीन गठित माल और सेवा कर अधिकरण, इस अधिनियम के अधीन अपील प्राधिकारी या पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करने के लिए अपील अधिकरण होगा।"।

2017 के हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 110 का लोप। 17. मूल अधिनियम की धारा 110 का लोप कर दिया जाएगा।

2017 के हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 114 का लोप। 18. मूल अधिनियम की धारा 114 का लोप कर दिया जाएगा।

2017 के हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 117 का संशोधन।

- 19. मूल अधिनियम की धारा 117 में,-
  - (क) उप—धारा (1) में, ''राज्य न्यायपीठ या क्षेत्रीय न्यायपीठों'' शब्दों के स्थान पर, ''राज्य न्यायपीठों'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे; तथा
  - (ख) उप—धारा (5) में, खण्ड (क) तथा (ख) में, ''राज्य न्यायपीठ या क्षेत्रीय न्यायपीठों'' शब्दों के स्थान पर, ''राज्य न्यायपीठों'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

2017 के हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 118 का संशोधन। 20. मूल अधिनियम की धारा 118 की उप—धारा (1) के खण्ड (क) में, ''राष्ट्रीय न्यायपीठ या प्रांतीय न्यायपीठों'' शब्दों के स्थान पर, ''प्रधान न्यायपीठ'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

मूल अधिनियम की धारा 119 में,-21.

> (क) "राष्ट्रीय या प्रांतीय न्यायपीठों" शब्दों के स्थान पर, "प्रधान न्यायपीठ" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे; तथा

2017 के हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 119 का संशोधन।

- (ख) ''राज्य न्यायपीठ या क्षेत्रीय न्यायपीठों'' शब्दों के स्थान पर, ''राज्य न्यायपीठों'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
- मूल अधिनियम की धारा 122 की उप–धारा (1क) के बाद, निम्नलिखित 2017 के हरियाणा उप-धारा रखी जाएगी, अर्थात् :--

अधिनियम 19 की धारा 122 का संशोधन।

'(1ख) कोई इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य प्रचालक जो-

- ऐसा प्रदाय करने के लिए इस अधिनियम के अधीन जारी की गई किसी अधिसूचना द्वारा रजिस्ट्रीकरण से छूट-प्राप्त किसी व्यक्ति से भिन्न किसी अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा उसके माध्यम से माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय की अनुमति देता है;
- (ii) किसी व्यक्ति, जो ऐसा अंतर-राज्य प्रदाय करने के लिए पात्र नहीं है, द्वारा उसके माध्यम से माल या सेवाओं या दोनों के किसी अंतर-राज्य प्रदाय की अनुमति देता है; या
- (iii) इस अधिनियम के अधीन रिजस्ट्रीकरण प्राप्त करने से छूट-प्राप्त किसी व्यक्ति द्वारा उसके माध्यम से प्रभावित मालों के किसी जावक प्रदाय के संबंध में धारा 52 की उप-धारा (4) के अधीन प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण में सही ब्यौरे प्रस्तुत करने में असफल रहता है,

तो दस हजार रूपये, या अन्तर्वलित कर की राशि के समतुल्य राशि, जो भी अधिक हो, की शास्ति का भुगतान करने के लिए दायी होगा, यदि धारा 10 के अधीन कर का भुगतान करने वाले किसी व्यक्ति से भिन्न किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा ऐसा प्रदाय किया गया था।"।

मूल अधिनियम की धारा 132 की उप-धारा (1) में,-23.

2017 के हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 132 का संशोधन।

- (क) खण्ड (छ), (ञ) तथा (ट) का लोप कर दिया जाएगा;
- (ख) खण्ड (ठ) में, ''खण्ड (क) से (ट)'' शब्दों, कोष्ठकों और अक्षरों के स्थान पर, ''खण्ड (क) से (च) तथा खण्ड (ज) तथा (झ)'' शब्द, कोष्ठक और अक्षर प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
- खण्ड (iii) में, "ऐसे मामलों में", शब्दों तथा चिहन के स्थान पर, "खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट अपराध के मामले में,'' शब्द, कोष्ठक तथा चिहन प्रतिस्थापित किए जाएंगे; तथा
- (घ) खण्ड (iv) में, "या खंड (छ) या खंड (ञ)" शब्दों, कोष्ठकों तथा अक्षरों का लोप कर दिया जाएगा।

2017 के हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 138 का संशोधन।

- 24. मूल अधिनियम की धारा 138 में,-
  - (क) उप-धारा (1) में, प्रथम परन्तुक में,-
    - (i) खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—
      - "(क) कोई व्यक्ति, जिसे धारा 132 की उप—धारा (1) के खण्ड (क) से (च), (ज), (झ) तथा (ठ) में विनिर्दिष्ट किन्हीं अपराधों के संबंध में एक बार प्रशमित होने के लिए अनुमत किया गया है;";
    - (ii) खण्ड (ख) का लोप कर दिया जाएगा ;
    - (iii) खण्ड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--
      - "(ग) कोई व्यक्ति, जो धारा 132 की उप—धारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन कोई अपराध करने वाला अभियुक्त है;";
    - (iv) खण्ड (ङ) का लोप कर दिया जाएगा; तथा
  - (ख) उप—धारा (2) में, ''दस हजार रूपये से कम न हों या शामिल कर का पचास प्रतिशत, जो भी अधिक हो, और अधिकतम राशि, जो तीस हजार रूपये से कम से कम न हो या कर का एक सौ पचास प्रतिशत, जो भी अधिक हो,'' शब्दों तथा चिह्नों के स्थान पर, ''अन्तर्वलित कर का पच्चीस प्रतिशत से कम न हो और अधिकतम राशि, जो अन्तर्वलित कर का एक सौ प्रतिशत से अनिधक हो,'' शब्द तथा चिह्न प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

2017 के हरियाणा अधिनियम 19 की धारा 158क का रखा जाना। 25. मूल अधिनियम की धारा 158 के बाद, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :--

'158क. कराधेय व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना का सहमित आधारित साझाकरण.— (1) धारा 133, 152 तथा 158 में दी गई किसी बात के होते हुए भी, किसी रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किए गए निम्नलिखित ब्यौरे, उप—धारा (2) के उपबन्धों के अध्यधीन, और परिषद् की सिफारिशों पर, ऐसी अन्य पद्धतियाँ, जो सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएं, ऐसी रीति में तथा ऐसी शर्तों, जो विहित की जाएं, के अध्यधीन सामान्य पोर्टल द्वारा साझे किए जाएंगे, अर्थात् :—

- (क) धारा 25 के अधीन रिजस्ट्रीकरण के लिए आवेदन में या धारा 39 के अधीन या धारा 44 के अधीन दायर की गई विवरणी में प्रस्तुत किए गए विवरण;
- (ख) बीजक तैयार करने के लिए सामान्य पोर्टल पर अपलोड किए गए विवरण, धारा 37 के अधीन प्रस्तुत किए गए जावक प्रदायों के ब्यौरे और धारा 68 के अधीन दस्तावेज जनित करने के लिए सामान्य पोर्टल पर अपलोड किए गए विवरण;

- (ग) ऐसे अन्य ब्यौरे, जो विहित किए जाएं।
- (2) उप—धारा (1) के अधीन ब्यौरे साझा करने के प्रयोजन हेतु ऐसे प्ररूप और रीति, जो विहित की जाए, में निम्नलिखित की सहमति प्राप्त की जाएगी—
  - (क) उप—धारा (1) के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन प्रस्तुत किए गए ब्यौरों के संबंध में, प्रदायकर्ता ; तथा
  - (ख) उप—धारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन, और उप—धारा (1) के खण्ड (ग) के अधीन प्रस्तुत किए गए विवरण के संबंध में, प्राप्तिकर्ता, केवल जहाँ ऐसे ब्यौरों में प्राप्तिकर्ता की पहचान सूचना शामिल हो।
- (3) तत्समय लागू किसी विधि में दी गई किसी बात के होते हुए भी, इस धारा के अधीन साझा की गई सूचना के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले किसी दायित्व के संबंध में सरकार या सामान्य पोर्टल के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हो सकेगी और सुसंगत प्रदाय पर या सुसंगत विवरणी के अनुसार कर भुगतान करने के दायित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।"।
- 26. मूल अधिनियम की अनुसूची III में,-
  - (क) पैरा 6 में, ''लाटरी, दांव और द्यूत'' शब्दों तथा चिह्न के स्थान पर, ''विनिर्दिष्ट अनुयोज्य दावों'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
  - (ख) (i) पैरा 7 और 8 तथा इनकी व्याख्या 2 (2018 के हरियाणा अधिनियम 25 की धारा 31 द्वारा रखी गई) जुलाई, 2017 के प्रथम दिन से इसमें रखी गई समझी जाएगी।
    - (ii) ऐसे सभी करों का प्रतिदाय नहीं किया जाएगा, जो संगृहीत किए गए हैं, किन्तु जिन्हें इस प्रकार संगृहीत नहीं किया जाता, यदि खण्ड (i) सभी तात्विक समयों पर लागू होता।
- 27. इस अधिनियम के अधीन किए गए संशोधन, दांव लगाने, कैसिनो, द्यूतक्रीड़ा, घुड़दौड़, अस्थायी उपबन्ध। लाटरी या ऑनलाइन गेम खेलने को प्रतिषिद्ध, निर्बन्धित या विनियमित करने के उपबंध करने वाली तत्समय लागू किसी अन्य विधि के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेंगे।

2017 के हरियाणा अधिनियम 19 की अनुसूची III का संशोधन तथा कतिपय क्रियाकलापों तथा संव्यवहारों हेतु भूतलक्षी प्रभाव से छूट।

## उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम) को राज्य सरकार द्वारा माल या सेवाओं या दोनों की अंतःराज्य प्रदाय पर कर लगाने और संग्रह के प्रावधान के दृष्टिकोण के साथ अधिनियमित किया गया था।

- 2. जीएसटी परिषद् की सिफारिशों के आधार पर तथा वित्त अधिनियम, 2023 (2023 का केन्द्रीय अधिनियम 8) और केन्द्रीय माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2023 (2023 का केन्द्रीय अधिनियम 30) के द्वारा केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में किए गए संशोधनों की तर्ज पर हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में संशोधन का प्रस्ताव है।
- 3. प्रस्तावित हरियाणा माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023, अन्य बातों के साथ, निम्नलिखित के लिए प्रदान करता है, अर्थात् :—
  - (i) उक्त अधिनियम में प्रदान की गई रिटर्न फाइलिंग प्रणाली को धारा 16 की उप—धारा (2) के साथ संरेखित करने के लिए अधिनियम की धारा 16 की उप—धारा (2) के द्वितीय और तृतीय परन्तुकों में संशोधन किया जाना;
  - (ii) यह प्रावधान किया जा सके कि किसी कराधेय व्यक्ति द्वारा प्राप्त मालों या सेवाओं या दोनों के संबंध में इनपुट टैक्स क्रेडिट उपलब्ध नहीं होगा, जिनका उपयोग कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 में निर्दिष्ट कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के तहत अपने दायित्वों से संबंधित गतिविधियों के लिए किया जाता है या उपयोग करने के लिए आशयित है के लिए अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (5) में संशोधन किया जाना;
  - (iii) किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा अधिनियम की धारा 37 की उप—धारा (1) के अधीन किसी कर अविध के लिए जावक प्रदायों का ब्यौरा प्रस्तुत करने के लिए तीन वर्ष तक की समय सीमा प्रदान करने के लिए अधिनियम की धारा 37 में नई उप—धारा (5) का रखा जाना। इसमें, परिषद् की सिफारिशों पर, सरकार को अधिसूचना द्वारा, किसी पंजीकृत व्यक्ति या पंजीकृत व्यक्तियों के एक वर्ग के लिए उक्त समय सीमा को कुछ शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन बढ़ाने का अधिकार देने का प्रयास किया गया है;
  - (iv) पंजीकृत व्यक्ति द्वारा अधिनियम की धारा 39 में एक नई उप—धारा (11) को रखा जाना तािक कर अविध के लिए रिटर्न प्रस्तुत करने की तीन साल की समय सीमा प्रदान की जा सके। इसमें, परिषद् की सिफारिशों पर, सरकार को अधिसूचना द्वारा, किसी पंजीकृत व्यक्ति या पंजीकृत व्यक्तियों के एक वर्ग के लिए उक्त समय सीमा को कुछ शतों और प्रतिबंधों के अधीन बढ़ाने का अधिकार देने का प्रयास किया गया है;
  - (v) पंजीकृत व्यक्ति द्वारा केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 44 में एक नई उप–धारा (2) को रखा जाना ताकि उक्त धारा की उप–धारा (1) के तहत एक वित वर्ष की वार्षिक रिटर्न भरने के लिए तीन साल की समय सीमा प्रदान

की जा सके। इसमें, परिषद् की सिफारिशों पर, सरकार को अधिसूचना द्वारा, किसी पंजीकृत व्यक्ति या पंजीकृत व्यक्तियों के एक वर्ग के लिए उक्त समय सीमा को कुछ शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन बढाने का अधिकार देने का प्रयास किया गया है;

- (vi) अधिनियम की धारा 56 में संशोधन करना ताकि नियमों द्वारा विलंबित रिफंड पर ब्याज की गणना के जिए विलंब की अविध की गणना का तरीका प्रदान किया जा सके;
- (vii) अधिनियम की धारा 138 की उप—धारा (2) में संशोधन करना ताकि विभिन्न अपराधों के शमन के लिए न्यूनतम और अधिकतम राशि को कम करके राशि को तर्कसंगत बनाया जा सके;
- (viii) कैसीनो, हॉर्स रेसिंग और ऑनलाइन गेमिंग की कराधेयता के संबंध में स्पष्टता प्रदान करने के लिए अधिनियम की कुछ धाराओं के साथ—साथ अनुसूची III में संशोधन किया जाना।
- 4. विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहता है।

दुष्यन्त चौटाला, उप—मुख्यमंत्री, हरियाणा सरकार।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) तथा (3) के अनुसरण में राज्यपाल ने हरियाणा विधान सभा से इस विधेयक को प्रस्तुत करने तथा इस पर विचार करने की सिफारिश की है।

चण्डीगढ़ :

आर० के० नांदल,

दिनांक : 24 अगस्त, 2023

सचिव।

अवधेयः उपर्युक्त विधेयक हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 128 के परन्तुक के अधीन दिनांक 24 अगस्त, 2023 के हरियाणा गवर्नमैंट गजट (असाधारण) में प्रकाशित किया था।

## वित्तीय ज्ञापन

प्रस्तावित हरियाणा माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 में राज्य की समेकित निधि से आवर्ती या गैर आवर्ती व्यय शामिल नहीं है।

# अनुबन्ध

## हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 से उद्धरण (2017 का 19)

	2. ਵ੍	स	अधिनिय	म में, जब त	क संदर्भ से अन्यथा	अपेक्षित न हो,—		परिभाषाएं।
			*	*	*	*	*	
	(80)		*	*	*	*	*	
	(102)		*	*	*	*	*	
	ाओं या ों के स	दोन बंध	नों का प्रव	राय करने वा	ला व्यक्ति और इसमें	र्ता'' से अभिप्राय होगा, र प्रदाय किए गए माल र कार्य करने वाला कोई	ग्रा सेवाओं	
	(117)		*	*	*	*	*	
			*	*	*	*	*	
	10. (	1)	*	*	*	*	*	प्रशमन उद्ग्रहण।
यदि,—	(:	2)	रजिस्ट्री	कृत व्यक्ति,	उपधारा (1) के अधी	ान विकल्प चुनने का प	ात्र होगा,	
	*		(ক)	*	*	*	*	
			(ख)	*	*	*	*	
			(ग)	*	*	*	*	
				र कर के सं		क प्रचालक के माध्यम र किसी माल या सेवाओं		
			(ঙ়)	*	*	*	*	
			(च)	*	*	*	*	

(2क) इस अधिनियम में दी गई किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, किन्तु धारा 9 की उपधारा (3) और (4) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कोई रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो उपधारा (1) और (2) के अधीन कर के भुगतान का चुनाव करने के लिए पात्र नहीं है, जिसकी पूर्व वित्तीय वर्ष में सकल आवर्त पचास लाख रूपए से अधिक नहीं है, उसके द्वारा धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन भुगतानयोग्य कर के बदले में, ऐसी दर, जो विहित की जाए, पर संगणित

परंतु

कर की राशि, किन्तु राज्य में उसकी आवर्त के तीन प्रतिशत से अधिक नहीं हो, का निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए भुगतान करने का चुनाव कर सकता है, यदि वह,—

> (ক) \* \* \* \* \* (ভু) \* \* \* \*

(ग) किसी ऐसे इलैक्ट्रानिक वाणिज्यिक प्रचालक, जिससे धारा 52 के अधीन स्रोत पर कर का संग्रहण करना अपेक्षित है, के माध्यम से माल या सेवाओं के किसी भी प्रदाय में नहीं लगा है;

इनपुट कर प्रत्यय लेने के लिए पात्रता और शर्तें।

(2) इस धारा में दी गई किसी बात के होते हुए भी, कोई भी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उसको किए गए किसी माल या सेवाओं या दोनों के किसी प्रदाय के संबंध में कोई इनपुट कर प्रत्यय प्राप्त करने का तब तक हकदार नहीं होगा, जब तक,—

 (क)
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*
 \*

परंतु यह और कि जहां कोई प्राप्तिकर्ता, ऐसे प्रदायों से भिन्न, जिन पर प्रतिलोम प्रभार के आधार पर कर भुगतानयोग्य है, माल या सेवाओं या दोनों के प्रदायकर्ता को प्रदाय के मूल्य के साथ उस पर भुगतानयोग्य कर के मद्दे राशि का, प्रदायकर्ता द्वारा बीजक जारी करने की तिथि से एक सौ अस्सी दिन की अवधि के भीतर भी भुगतान करने में असफल रहता है, वहां प्राप्तिकर्ता द्वारा उपभोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय के बराबर राशि को, उस पर ब्याज के साथ, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, उसके आउटपुट कर दायित्व में जोड़ दिया जाएगा:

परंतु यह भी कि प्राप्तिकर्ता माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय मूल्य के साथ उस पर भुगतानयोग्य कर के मद्दे राशि का उसके द्वारा किए गए भुगतान पर इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग करने का हकदार होगा।

17.	(1)	Α	*	*	*	<ul> <li>प्रत्यय और निरुद्ध</li> </ul>
	(2)	*	*	*	*	प्रत्यय का प्रभाजन *
	(3)	उपधारा (2)	के अधीन छूट प्राप्त	ा प्रदाय का मूल्य ऐसा	होगा, जो विहित	किया
जाए, और	उसमें	ऐसे प्रदाय,	जिस पर प्राप्तिकर्ता	प्रितिलोम प्रभार के व	आधार पर कर भुग	ातान
का दायी है	प्रतिभ	रूति संव्यवहा	रों, भूमि विक्रय और	अनुसूची II के पैरा 5	के खंड (ख) के उ	प्रधीन
रहते हुए भ	वन क	ग विक्रय सर्वि	म्मिलित होगा।			
		व्याख्या.—	इस उप-धारा के	प्रयोजनों के लिए '	'छूट–प्राप्त प्रदाय	। का
				व्याकलापों या संव्यवह		ालित
नहीं होंगे,	सिवाय	उनके जो	उक्त अनुसूची के ।	पैरा 5 में विनिर्दिष्ट ह	<u></u>	
	(4)	*	*	*	*	*
	(5)	धारा 16 की	उपधारा (1) और ध	गरा 18 की उपधारा (1	ı) में दी गई किसी	बात
के होते हुए	भी, र्	नेम्नलिखित	के संबंध में इनपुट	कर प्रत्यय उपलब्ध	नहीं होगा, अर्था	त् ≔
	(ক)	*	*	*	*	*
	(ख)	*	*	*	*	*
	(ग)	*	*	*	*	*
	(ঘ)	*	*	*	*	*
	(ঙ্)	*	*	*	*	*
	(च)	*	*	*	*	*
	(छ)	*	*	*	*	*
	(ज)	*	*	*	*	*
	(झ)	*	*	*	*	*
23.	(1)	*	*	*	*	* व्यक्ति जो
	(2)	सरकार, परि	रेषद की सिफारिशों	पर, अधिसूचना द्वारा,	ऐसे व्यक्तियों के	प्रवर्ग रजिस्ट्रीकरण के
जिन्हें इस व	प्रधिनि	यम के अधीन	न रजिस्ट्रीकरण प्राप	त करने से छूट दी ज	ा सकती है, विनि	रिंष्ट लिए दायी नहीं है
कर सकती						
24.	धारा	22 की उप	धारा (1) में दी गई	किसी बात के होते	हुए भी, व्यक्तिय	ों के कतिपय मामलों में
निम्नलिखिल	त प्रवग	र्गे को इस अ	मधिनियम के अधीन	रजिस्ट्रीकृत किया प	जाना अपेक्षित होग	Π,— अनिवार्य
	*		*	*	*	रजिस्ट्रीकरण। *
	(xi)	भारत से बा	हर किसी स्थान से	ऑन—लाइन सूचना ः	और द्वांटा आधार ।	ਪੜੰਚ
या पुनः प्रार्ग	प्त से	वाओं का प्रद	ाय करने वाला प्रत	येक व्यक्ति भारत में	रजिस्ट्रीकृत व्यकि	.s ' त से
भिन्न किसी	व्यवि	त्त को प्रदाय	करता है ; और			

रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण का प्रतिसंहरण। 30. (1) ऐसी शर्तों, जो विहित की जाएं, के अध्यधीन कोई रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसका रिजस्ट्रीकरण समुचित अधिकारी द्वारा स्वप्रेरणा पर रदद किया गया है, रददकरण आदेश की तामील की तिथि से तीस दिन के भीतर ऐसे अधिकारी को विहित रीति में रिजस्ट्रीकरण के रददकरण के प्रतिसंहरण के लिए आवेदन कर सकता है:

परन्तु दर्शाए जाने वाले पर्याप्त कारण से, तथा कारणों को अभिलिखित करते हुए, ऐसी अवधि,—

- (क) अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा तीस दिन से अनधिक अवधि के लिए ;
- (ख) आयुक्त द्वारा, खण्ड (क) में विनिर्दिष्टि अवधि के अतिरिक्त और तीस दिन से अनधिक अवधि के लिए, बढ़ाई जा सकती है।"।

जावक प्रदायों के	37.	(1)	*	*	*	*	*
ब्यौरे देना।		(2)	*	*	*	*	*
			*	*	*	*	*
		(4)	*	*	*	*	*
विवरणियां देना।	39.	(1)	*	*	*	*	*
		(2)	*	*	*	*	*
		(3)	*	*	*	*	*
		(4)	*	*	*	*	*
		(5)	*	*	*	*	*
	¥	(6)	*	*	*	*	*
		(7)	*	*	*	*	*
		(8)	*	*	*	*	*
		(9)	*	*	*	*	*
		(10)		k	*	*	*
		` '					

वार्षिक विवरणी।

44. (1) इनपुट सेवा वितरक, धारा 51 या धारा 52 के अधीन कर का भुगतान करने वाले व्यक्ति, नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति और अनिवासी कराधेय व्यक्ति से भिन्न, प्रत्येक रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से ऐसे समय के भीतर तथा ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए, संपरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण के साथ एक वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करेगा, जिसमें वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तुत की गई विवरणी में घोषित प्रदाय के मूल्य को सुमेलित करते हुए एक स्वप्रमाणित सुमेलन विवरण सम्मिलित किया जा सकता है:

परन्तु आयुक्त, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के किसी वर्ग को इस धारा के अधीन वार्षिक विवरणी फाइल करने से छूट दे सकता है :

परन्तु यह और कि इस धारा में दी गई कोई बात, केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के किसी विभाग या किसी स्थानीय प्राधिकरण को लागू नहीं होगी, जिनकी लेखा—बहियां भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा परीक्षा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन स्थानीय प्राधिकरणों के लेखों की संपरीक्षा के लिए नियुक्त किसी संपरीक्षक द्वारा की जाने वाली संपरीक्षा के अध्यधीन हैं।"।

52.	(1)	*	*	*	*	* स्रोत पर कर का
	(2)	*	*	*	*	संग्रहण। *
	(3)	*	*	*	*	*
	(4)	*	*	*	*	*
	(5)	*	*	*	*	*
	(6)	*	*	*	*	*
	(7)	*	*	*	*	*
	(8)	*	*	*	*	*
	(9)	*	*	*	*	*
	(10)	*	*	*	*	*
	(11)	*	*	*	*	*
	(12)	*	*	*	*	*
	(13)	*	*	*	*	*
	(14)	*	*	*	*	*
54.	(1)	*	*	*	*	* कर प्रतिदाय।
	(2)	*	*	*	*	*
	(3)	*	*	*	*	*
	(4)	*	*	*	*	*
	(5)	*	*	*	*	*

(6) उपधारा (5) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी समुचित अधिकारी इस निमित्त परिषद् की सिफारिशों पर सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे प्रवर्ग से भिन्न रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा मालों या सेवाओं या दोनों की शून्य दर के मद्दे प्रतिदाय के दावे के किसी मामले में अनन्तिम आधार पर इस प्रकार दावा की गई राशि, जिसमें स्वीकृत इनपुट कर प्रत्यय की राशि को छोड़कर, के नब्बे प्रतिशत का प्रतिदाय ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों, परिसीमाओं और सुरक्षापायों के अधीन रहते हुए, जैसा कि विहित किया जाए, कर सकेगा तथा तत्पश्चात् उपधारा (5) के अधीन आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के सम्यक् सत्यापन के प्रश्चात् प्रतिदाय के अंतिम निपटान के लिए आदेश करेगा।

विलंबित प्रतिदाय पर ब्याज। 56. यदि किसी आवेदक को धारा 54 की उपधारा (5) के अधीन किसी कर के प्रतिदाय का आदेश किया गया है और उक्त धारा की उपधारा (1) के अधीन आवेदन की प्राप्ति की तिथि के साठ दिन के भीतर उसका प्रतिदाय नहीं किया जाता है तो सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर जारी छह प्रतिशत से अनिधक ऐसी दर पर अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, उक्त धारा के अधीन आवेदन की प्राप्ति की तिथि से साठ दिन की समाप्ति के तुरन्त पश्चात् की तिथि से ऐसे कर का प्रतिदाय करने की तिथि तक ब्याज भुगतानयोग्य होगा:

परन्तु \*

विवरणियों को दायर नहीं करने वाले का निर्धारण। 62. (1) \* \* \*

(2) जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन निर्धारण आदेश की तामील से तीस दिन के भीतर विधिमान्य विवरणी प्रस्तुत कर देता है तो उक्त निर्धारण आदेश का प्रतिसंहरण किया गया समझा जाएगा किंतु धारा 47 के अधीन विलंब फीस के भुगतान या धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन ब्याज का भुगतान करने का दायित्व जारी रहेगा।

अपील अधिकरण और उसकी न्यायपीठें।

- 109. (1) इस अध्याय के उपबंधों के अधीन रहते हुए, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का केन्द्रीय अधिनियम 12), के अधीन गठित माल और सेवा कर अधिकरण, इस अधिनियम के अधीन अपील प्राधिकारी या पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करने के लिए अपील अधिकरण होगा।
- (2) राज्य में अवस्थित राज्य न्यायपीठ और क्षेत्रीय न्यायपीठों का गठन और अधिकारिता, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का केन्द्रीय अधिनियम 12), की धारा 109 या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार होगी।

अपील अधिकरण का अध्यक्ष और सदस्य, उनकी अर्हताएं, नियुक्ति, सेवा की शर्ते आदि। 110. राज्य न्यायपीठ और क्षेत्रीय न्यायपीठों के अध्यक्ष और सदस्यों की अर्हताएं, नियुक्ति, वेतन और भत्ते, पदावधि, पद से त्यागपत्र और हटाया जाना, केंन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का केन्द्रीय अधिनियम 12), की धारा 110 के उपबंधों के अनुसार होगा।

राज्य अध्यक्ष की वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां।

114. राज्य अध्यक्ष, राज्य में अपील अभिकरण के राज्य न्यायपीठ और क्षेत्रीय न्यायपीठों पर ऐसी वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग करेगा, जो विहित की जाएं:

परन्तु राज्य अध्यक्ष को अपनी ऐसी वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों, जैसा वह ठीक समझे, को राज्य न्यायपीठ या क्षेत्रीय न्यायपीठों के किसी सदस्य या किसी अधिकारी को, ऐसी शर्त के अधीन रहते हुए प्रत्यायोजित करने का प्राधिकार होगा कि ऐसा सदस्य या अधिकारी ऐसी प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य अध्यक्ष के निदेश, नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करेगा।

				19						
		-				1 h				
आदेश से न्यायालय	व्यथिव ऐसी ३	त कोई व्य	केत उच्च न वीकार कर	ाज्य न्यायपी यायालय में सकता है, उ ा है।	अपील दायर	कर सकत	ता है औ	र उच्च	उच्च न्यायालय व अपील ।	जे .
(2	*	*		*	*		*			
. (3	*	*		*	*		*			
(4	*	*		*	*		*			
(5)	उच्च	प, न्यायालय ग, न्यायालय	किसी ऐसे	वाद को अ	वधारित कर	सकता है,	जो–			
	(ক)	राज्य न्यार	ग्पीठ या क्षे	त्रीय न्यायपी	ठों द्वारा अवध	ग्रारित न वि	् या गया	हो; या		
		उपधारा (	3) में यथा	निर्दिष्ट ऐसे ग्रीय न्यायपीठ	विधि के प्रश	न पर विनि	श्चय के	कारण		
11	8. (1)	ऐसी अपीव	ल जो उच्च	तम न्यायाल	य में होगी-				उच्चतम न्यायालय	
	(ক)		वेकरण की रेश के विरु	राष्ट्रीय न्या द्ध; या	पपीठ या प्रांत	तीय न्यायपी	ाठों द्वारा	पारित	को अपील।	
	(ख)	*	*	*		*				
	` '					4		*		
की गई है, न्यायपीठों । के राज्य न्य न्यायालय ।	9. किर्स तो धा झरा प गयपीठ झरा य	ो बात के हो रा 113 की ।रित किसी ह या क्षेत्रीय धास्थिति पा	उपधारा (1 आदेश या ६ न्यायपीठों द्व रित किसी	उच्च न्यायाल ) के अधीन अ गरा 113 की गरा पारित वि आदेश के प्र अनुसार भु	अपील अधिक उपधारा (1) ज्सी आदेश य रेणामस्वरूप	न न्यायालय ज्रेण की राप के अधीन अ ग्रा धारा 117 सरकार को	ष्ट्रीय या : ापील अधि के अधीन	प्रांतीय करण उच्च	अपील इत्यादि के होते हुए भी भुगता की जाने वाली देर धन—राशि।	
की गई है, न्यायपीठों ; के राज्य न्य न्यायालय ; देय धनरारि	9. किर्स तो धा झरा प गयपीठ झरा य	ो बात के हो रा 113 की ारित किसी ज्या क्षेत्रीय धास्थिति पा प्रकार पारि	उपधारा (1 आदेश या ६ न्यायपीठों द्व रित किसी	) के अधीन व गरा 113 की गरा पारित वि आदेश के प	अपील अधिक उपधारा (1) ज्सी आदेश य रेणामस्वरूप	न न्यायालय ज्रेण की राप के अधीन अ ग्रा धारा 117 सरकार को	ष्ट्रीय या : ापील अधि के अधीन	प्रांतीय करण उच्च	होते हुए भी भुगता की जाने वाली देर धन-राशि। कतिपय अपराधों व	I
की गई है, न्यायपीठों : के राज्य न्य न्यायालय : देय धनरारि के अधीन 3 किया है, तं	9. किर्स तो धा झरा प गयपीठ झरा य हो इस 2. (1) (1क) गाने वा अपव	ो बात के हो रा 113 की ।रित किसी • या क्षेत्रीय धास्थिति पा प्रकार पारि * • कोई भी व्य ले संव्यवहार	उपधारा (1 आदेश या ध न्यायपीठों द्व रित किसी त आदेश व * का लाभ ब ा प्राप्त किए	) के अधीन व गरा 113 की गरा पारित वि आदेश के प हे अनुसार भु से उपधारा (1 गाए रखा है प्राप्ट्या हस्स	अपील अधिव उपधारा (1) ज्सी आदेश य रेणामस्वरूप गतानयोग्य ह ) के खण्ड (i और जिसके	न न्यायालय रुपण की राग के अधीन अ ग्रा धारा 117 सरकार को डोगी। * ), (ii), (vii अनुरोध पर	ष्ट्रीय या :  ापील अधीन  के अधीन  दी जाने  े या खण्ड  ऐसा संब	प्रांतीय करण उच्च वाली * * ह (ix)	होते हुए भी भुगता की जाने वाली देर धन—राशि।	I
की गई है, न्यायपीठों ; के राज्य न्य न्यायालय ; देय धनरा 12: के अधीन 3 किया है, तं बराबर राइ	9. किर्स तो धा झरा प गयपीठ झरा य शे इस 2. (1) (1क) ग अपव ग की प	ो बात के हो रा 113 की रित किसी या क्षेत्रीय थास्थिति पा प्रकार पारि * के संव्यवहार वित कर य शास्ति के वि जो कोई भ	उपधारा (1 आदेश या ध न्यायपीठों द्व रित किसी त आदेश व * का लाभ ब ा प्राप्त किए तेए दायी हं	) के अधीन व गरा 113 की गरा पारित वि आदेश के प हे अनुसार भु में उपधारा (1 गाए रखा है प्र गए या हस्स्	अपील अधिव उपधारा (1) ज्सी आदेश य रेणामस्वरूप गतानयोग्य ह ) के खण्ड (i और जिसके गान्तरित किए	न न्यायालय रुपण की राग के अधीन अ ग्रा धारा 117 सरकार को शेगी। * ), (ii), (vii अनुरोध पर गु गु इनपुट	ष्ट्रीय या :  ापील अधीन  के अधीन  दी जाने  या खण्य  ऐसा संब	प्रांतीय करण उच्च वाली * * (ix) प्रवहार प्रय के	होते हुए भी भुगता की जाने वाली देर धन-राशि। कतिपय अपराधों व	5
की गई है, न्यायपीठों ; के राज्य न्य न्यायालय ; देय धनरा 12: के अधीन 3 किया है, तं बराबर राइ	9. किर्स तो धा झरा प गयपीठ झरा य शे इस 2. (1) (1क) ग अपव ग की प	ो बात के हो रा 113 की रित किसी या क्षेत्रीय थास्थिति पा प्रकार पारि * के संव्यवहार वित कर य शास्ति के वि जो कोई भ	उपधारा (1 आदेश या ध न्यायपीठों द्व रित किसी त आदेश व * का लाभ ब ा प्राप्त किए तेए दायी हं	) के अधीन व गरा 113 की गरा पारित वि आदेश के पा के अनुसार भु * ने उपधारा (1 गाए रखा है ! गए या हस्स गेगा।"।	अपील अधिव उपधारा (1) ज्सी आदेश य रेणामस्वरूप गतानयोग्य ह ) के खण्ड (i और जिसके गान्तरित किए	न न्यायालय रुपण की राग के अधीन अ ग्रा धारा 117 सरकार को शेगी। * ), (ii), (vii अनुरोध पर गु गु इनपुट	ष्ट्रीय या :  ापील अधीन  के अधीन  दी जाने  या खण्य  ऐसा संब	प्रांतीय करण उच्च वाली * * (ix) प्रवहार प्रय के	होते हुए भी भुगता की जाने वाली देर धन-राशि। कतिपय अपराधों व लिए शास्ति।	5
की गई है, न्यायपीठों ; के राज्य न्य न्यायालय ; देय धनरा 12: के अधीन 3 किया है, तं बराबर राइ	9. किर्स तो धा द्वारा प गयपीठ द्वारा य रो इस 2. (1) (1क) 1 अपव 1 की प्र 2. (1) वाता है	ो बात के हो रा 113 की रित किसी या क्षेत्रीय थास्थिति पा प्रकार पारि * के संव्यवहार चित कर य शास्ति के वि जो कोई भ तथा उसर	उपधारा (1 आदेश या ध्र न्यायपीठों द्व रित किसी त आदेश व * का लाभ ब ा प्राप्त किए तेए दायी ह	) के अधीन र गरा 113 की ारा पारित वि आदेश के पा रे अनुसार भु से उपधारा (1 गाए रखा है गए या हस्त गा।"। खेत में से वि लाभों को ब	अपील अधिव उपधारा (1) ज्सी आदेश य रेणामस्वरूप गतानयोग्य ह ) के खण्ड (i और जिसके गान्तरित किए	न न्यायालय रुपण की राग के अधीन अ ग्रा धारा 117 सरकार को शेगी। * ), (ii), (vii अनुरोध पर गु गु इनपुट	ष्ट्रीय या :  ापील अधीन  के अधीन  दी जाने  या खण्य  ऐसा संब	प्रांतीय करण उच्च वाली * * (ix) प्रवहार प्रय के	होते हुए भी भुगता की जाने वाली देर धन-राशि। कतिपय अपराधों व लिए शास्ति।	ò
की गई है, न्यायपीठों ; के राज्य न्य न्यायालय ; देय धनरा 12: के अधीन 3 किया है, तं बराबर राइ	9. किर्स तो धा झरा प गयपीठ झरा य हो इस 2. (1) (1क) ग की उ वाता है (क)	ो बात के हो रा 113 की रित किसी या क्षेत्रीय थास्थिति पा प्रकार पारि * के संव्यवहार वित कर य शास्ति के वि जो कोई भ तथा उसर *	उपधारा (1 आदेश या ध्र न्यायपीठों द्व रित किसी त आदेश व * का लाभ ब ा प्राप्त किए तेए दायी ह	) के अधीन व गरा 113 की गरा पारित वि आदेश के पा के अनुसार भु से उपधारा (1 गरा या हस्स गरा या हस्स गरा या हस्स गरा में से वि लाभों को ब	अपील अधिव उपधारा (1) ज्सी आदेश य रेणामस्वरूप गतानयोग्य ह ) के खण्ड (i और जिसके गान्तरित किए केसी अपराध्य गनाए रखता	न न्यायालय रुपण की राग के अधीन अ ग्रा धारा 117 सरकार को शेगी। * ), (ii), (vii अनुरोध पर गु गु इनपुट	ष्ट्रीय या :  ापील अधीन  के अधीन  दी जाने  या खण्य  ऐसा संब	मांतीय करण उच्च वाली * ह (ix) प्रवहार प्रय के	होते हुए भी भुगता की जाने वाली देर धन-राशि। कतिपय अपराधों व लिए शास्ति।	ò
की गई है, न्यायपीठों ; के राज्य न्य न्यायालय ; देय धनरा 12: के अधीन 3 किया है, तं बराबर राइ	9. किर्स तो धा झरा प गयपीठ झरा य शे इस 2. (1) (1क) ग की र 2. (1) वाता है (क)	ो बात के हो रा 113 की रित किसी या क्षेत्रीय थास्थिति पा प्रकार पारि * के संव्यवहार वित कर य शास्ति के वि जो कोई भ तथा उसर *	उपधारा (1 आदेश या ध न्यायपीठों द्व रित किसी त आदेश व * का लाभ ब प्राप्त किए तेए दायी हं ते होने वाले *	) के अधीन व गरा 113 की गरा पारित वि आदेश के पा के अनुसार भु से उपधारा (1 गरा या हस्स गरा या हस्स गरा या हस्स गरा में से वि लाभों को ब	अपील अधिव उपधारा (1) ज्सी आदेश य रेणामस्वरूप गतानयोग्य ह ) के खण्ड (i और जिसके वान्तरित किए केसी अपराध्य वनाए रखता	न न्यायालय रुपण की राग् के अधीन अ ग्रा धारा 117 सरकार को होगी। * ), (ii), (vii अनुरोध पर ग्र गए इनपुद को कारित् है, अर्थात्:-	ष्ट्रीय या :  ापील अधीन  के अधीन  दी जाने  या खण्य  ऐसा संब	मांतीय करण उच्च वाली * ह (ix) प्रवहार प्रय के	होते हुए भी भुगता की जाने वाली देर धन-राशि। कतिपय अपराधों व लिए शास्ति।	ò

	(ঘ)	*	*	*	*	*
	(ঙ়)	*	*	*	*	*
	(च)	*	*	*	*	*
				अधिकारी को उसके	कर्तव्यों के निर्वहर	न से
रोकता है य	ग प्रवा	रित करता ह	2;			
	(ज)	*	*	*	*	*
	(झ)	*	*	*	*	*
	(স)	किसी सारभ	नूत साक्ष्य या दस्ताव	ोज से छेड़छाड़ करत	ग है या नष्ट करत	ा है;
	( <del>-</del> )	किसी सम्ब	म को देने में अग्राह	न्य रहता है सो उर	न टारा दम अधिन	नेसम

(ट) किसी सूचना को देने में असफल रहता है, जो उस द्वारा इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन दी जानी अपेक्षित है या (बिना युक्तियुक्त विश्वास सहित, जिसे सिद्ध करने का भार उस पर है कि उसके द्वारा दी गई सूचना सत्य है) झूठी

सूचना देता है; या

(ठ) इस धारा के खंड (क) से (ट) में निर्दिष्ट अपराधों में से किसी के कारित करने का प्रयास करता है या दुष्प्रेरण करता है, तो—

(iii) जहां कर अपवंचन की राशि या गलत रूप से ली गई या प्रयोग की गई इनपुट कर प्रत्यय की राशि या गलत रूप से वापस प्राप्त की गई राशि एक सौ लाख रूपए से अधिक है लेकिन दो सौ लाख रूपए से अनधिक है, तो ऐसे मामलों में, ऐसे कारावास से जो एक वर्ष तक हो सकता है और जुर्माने से ;

(iv) जहां वह खंड (च) या खंड (छ) या खंड (ञ) में विनिर्दिष्ट किसी अपराध को करता है या अपराध को करने के लिए दुष्प्रेरण करता है, तो ऐसे मामलों में, वह ऐसे कारावास से जो छह मास तक हो सकती है या जुर्माने से या दोनों से, दण्डनीय होगा।

अपराधों का प्रशमन।

138. (1) \*

परंतु इस धारा की कोई बात निम्नलिखित पर लागू नहीं होगी-

(क) कोई व्यक्ति, जो धारा 132 की उपधारा (1) के खंड (क) से (च) में विनिर्दिष्ट अपराधों और खंड (ठ) में विनिर्दिष्ट अपराधों, जो उक्त उपधारा के खंड (क) से (च) में विनिर्दिष्ट अपराधों से संबंधित हैं, में से किसी अपराध के संदर्भ में एक बार प्रशमित होने के लिए अनुज्ञात किया गया है;

(ख) कोई व्यक्ति, जो एक करोड़ रूपए से अधिक मूल्य की प्रदाय के संबंध में इस अधिनियम के अधीन या किसी राज्य माल और सेवा कर अधिनियम या केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का केन्द्रीय अधिनियम 12) या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम 2017 (2017 का केन्द्रीय अधिनियम 13) के उपबंधों के अधीन खंड (क) से भिन्न किसी अपराध के संबंध में एक बार प्रशमित होने के लिए अनुज्ञात किया गया है;

(ग) कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करने वाला अभियुक्त है, जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन भी कोई अपराध है;

(घ) \* \* \* \*

(ड़) कोई व्यक्ति, जो धारा 132 की उपधारा (1) के खंड (छ) या खंड (ञ) या खंड (ट) में विनिर्दिष्ट कोई अपराध करने वाला अभियुक्त है; और

(2) इस धारा के अधीन अपराधों के प्रशमन के लिए राशि, ऐसी होगी जो न्यूनतम राशि जो दस हजार रूपए से कम न हों या शामिल कर का पचास प्रतिशत, जो भी अधिक हो, और अधिकतम राशि, जो तीस हजार रूपए से कम से कम न हो या कर का एक सौ पचास प्रतिशत, जो भी अधिक हो, के अध्यधन विहित की जाए।

\* \* \* \* \* \* लोक सेवक द्वारा

(2) \* \* \* \* \* \* \* \* \* 

(3) \* \* \* \* \* \* \* \*

# अनुसूची III

(देखिए धारा 7)

## क्रियाकलाप या संव्यवहार जिन्हें न तो माल का प्रदाय माना जाएगा न ही सेवाओं का प्रदाय माना जायेगा

- 6. लाटरी, दांव और द्यूत के अतिरिक्त अनुयोज्य दावे ।
- 7. भारत के बाहर किसी स्थान से, भारत से बाहर किसी अन्य स्थान पर, ऐसे माल का भारत में प्रवेश के बिना माल का प्रदाय।
- 8. (क) घरेलू उपभोग के लिए निकासी से पूर्व किसी व्यक्ति को भांडागारित माल का प्रदाय।
- (ख) प्रेषिती द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को, माल का भारत से बाहर अवस्थित मूल पत्तन से प्रेषण किए जाने के पश्चात् किन्तु घरेलू उपभाग के लिए निकासी से पूर्व, माल के मालिकाना हक के दस्तावेज के पृष्ठांकन द्वारा माल का प्रदाय।"

### ट्याख्या.-

1. \*

2. पैरा 8 के प्रयोजनों के लिए, "भांडागारित माल" अभिव्यक्ति का वहीं अर्थ होगा, जो इसे सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का केन्द्रीय अधिनियम 52) में दिया गया है।"।

10556-H.V.S.-H.G.P., Pkl.